

दिल्ली की पृष्ठभूमि

देश की राजधानी दिल्ली देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक सघन आबादी का क्षेत्र है। दिल्ली की जनसंख्या में 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से (भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार) बढ़कर 11297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है (भारत की 2011 की जनगणना)। भारतीय औसत की तुलना में दिल्ली में साक्षरता दर अधिक व शिशु मृत्यु दर कम है। दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2002-03 से 2011-12 के दशक में अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत स.रा.घ.उ. (14.46 प्रतिशत) की तुलना में अधिक गति (16.84 प्रतिशत) से बढ़ा है (परिशिष्ट 1.1)।

1.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) दिल्ली सरकार के लेखे दो भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि तथा (ii) आकस्मिक निधि। इनमें, कोई लोक लेखा नहीं है। ऋण (समेकित निधि में शामिल किए जाने के अलावा), जमा, अग्रिम, प्रेषण तथा उचंचत से संबंधित लेन-देन संघ सरकार के लोक लेखे में विलय किए जाते हैं। इसी प्रकार रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के नकद शेष का विलय किया जाता है तथा संघ सरकार के सामान्य नकद शेष का हिस्सा बनता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त लेखे सोलह विवरणियों में रखे जाते हैं जो रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि में प्राप्तियों और व्यय, राजस्व तथा पूँजी को दर्शाते हैं (परिशिष्ट 1.2)।

यह अध्याय मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान दिल्ली सरकार के वित्तों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समस्त प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्ष से संबंधित कुल मुख्य राजस्व में अति महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

1.2 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.1 पूर्व वर्षों के साथ-साथ चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राज्य सरकार के वित्तीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है जबकि **परिशिष्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान प्राप्तियों व संवितरणों तथा कुल वित्तीय स्थिति के ब्यौरे प्रस्तुत करता है:

तालिका 1.1 : चालू वर्ष के राजकोषीय परिचालनों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण				
	2010-11	2011-12		2010-11	2011-12		
भाग-क राजस्व	कुल	कुल	भाग-क राजस्व	कुल	गैर-योजना	योजना	कुल
राजस्व प्राप्तियाँ	25024.10	22393.17	राजस्व व्यय	14381.74	11524.00	6440.85	17964.85
कर राजस्व	16477.75	19971.67	सामान्य सेवाएं	3728.95	4254.62	92.61	4347.23
कर-भिन्न राजस्व	4188.95	460.87	सामाजिक सेवाएं	8718.80	4902.82	5814.29	10717.11
संघ करों/शुल्कों का अंश	-	-	आर्थिक सेवाएं	1392.46	1638.27	533.95	2172.22
भारत सरकार से अनुदान	4357.40	1960.63	सहायता अनुदान तथा अंशदान	541.53	728.29	0	728.29
भाग-ख पूँजी			भाग-ख पूँजी				
विभिन्न पूँजीगत प्राप्तियाँ	-	-	पूँजीगत परिव्यय	3984.80	4.31	3999.96	4004.27
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	436.77	376.25	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	6364.73	85.93	3259.48	3345.41
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	4388.94	556.08	लोक ऋण तथा पुनःभुगतान*	793.05	1087.88	0.00	1087.88
आरंभिक नकद शेष #	3387.70	7713.19	अंतिम नकद शेष\$	7713.19	-	-	4636.28
कुल	33237.51	31038.69		33237.51			31038.69

* भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम वृहत्सूत्र से लघु बचतों में शामिल होता है ।
नकद शेष को भारत सरकार के सामान्य नकद शेष में विलय किया जाता है ।
(स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे तथा वे.एवं ले. का. दिल्ली से प्राप्त सूचना)


पूर्व वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नलिखित है:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2630.93 करोड़ (10.51 प्रतिशत) की कमी हुई । कर राजस्व में ₹ 3493.92 करोड़ की वृद्धि हुई थी तथा गैर कर राजस्व तथा भारत सरकार से अनुदान में क्रमशः ₹ 3728.08 करोड़ तथा ₹ 2396.77 करोड़ की कमी हुई ।
- राजस्व व्यय में ₹ 3583.11 करोड़ (24.91 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा पूँजीगत व्यय में ₹ 19.47 करोड़ (0.49 प्रतिशत) की वृद्धि आई ।

- ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों में ₹ 60.52 करोड़ (13.86 प्रतिशत) की कमी हुई तथा ऋणों के संवितरण में ₹ 3019.31 करोड़ (47.44 प्रतिशत) की कमी हुई ।
- लोक ऋण प्राप्तियों में ₹ 3832.86 करोड़ की प्रबल कमी हुई जबकि पुनर्भुगतान में ₹ 294.83 करोड़ (37.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई ।
- वर्ष 2011-12 के अंत में नकद शेष में पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 3076.91 करोड़ (39.89 प्रतिशत) की कमी हुई ।

1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकता

कर राजस्व व व्यय के अंतर्गत बजट अनुमान तथा वास्तविक आंकड़े चार्ट 1.1 में दर्शाए गए हैं ।




चार्ट 1.1 को देखकर यह कहा जा सकता है कि बजट अनुमान व वास्तविकता के संदर्भ में विभिन्न मुख्य मापदंड में बहुत अधिक भिन्नता है । वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ लक्ष्य से 2.04 प्रतिशत कम थीं जबकि राजस्व व्यय एक घनात्मक प्रवृत्ति दिखाता था यह बजट अनुमानों से 10.39 प्रतिशत (₹ 1690.27 करोड़) अधिक था । राजकोषीय घाटा ₹ 753.40 करोड़ अनुमानित था जो नियंत्रण से बाहर होकर ₹ 2545.20 करोड़ पहुँच गया । प्राथमिक अधिशेष ₹ 2246.60 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध ₹ 372.06 करोड़ था ।


1.4 राज्य के संसाधन

1.4.1 वार्षिक वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन

राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजी प्राप्तियों के दो आधार हैं जो राज्य सरकार के संसाधन को बनाते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व और भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियों जैसे ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों से प्राप्तिया, ऋण प्राप्तियाँ तथा भा.स. से ऋण एवं अग्रिम के साथ-साथ लोक लेखे से जमा शामिल हैं। **तालिका 1.1** चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखों में अभिलेखित है जबकि **चार्ट 1.2** वर्ष 2007-12 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। **चार्ट 1.3** चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।




चार्ट 1.3 : 2011-12 के लिए प्राप्तियों का संयोजन (₹ करोड़ में)



राजस्व प्राप्तियाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कुल प्राप्तियों का एक बड़ा भाग है। कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का अंश जो कि 2007-08 में 93.85 प्रतिशत था 2011-12 में बढ़कर 96.00 प्रतिशत हो गया।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखों की विवरणी-9 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का वर्णन है। राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर तथा कर-भिन्न राजस्व और भा.स. से सहायता अनुदान शामिल है। 2007-12 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियों तथा संयोजन को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा उन्हें क्रमशः चार्ट 1.4 तथा 1.5 में भी दर्शाया गया है।



स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों को नीचे तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 1.2: स.रा.घ.उ. से संबंधित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजस्व प्राप्तियाँ (स.प्रा.) (₹ करोड़ में)	14912.38	16352.21	20451.34	25024.10	22393.17
स.प्रा. की वृद्धि की दर (प्रतिशत)	22.30	9.66	25.07	22.36	(-) 10.51
स.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	9.44	8.63	9.14	9.46	7.13
बॉयंसि अनुपात					
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व बॉयंसि	1.35	0.48	1.39	1.23	(-) 0.56
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की स्वयं की कर बॉयंसि	0.97	0.17	0.58	1.24	1.13

(स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे)

राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2007-11 की अवधि में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शाती हैं राज्य प्राप्तियों के कर राजस्व का अंश वर्ष 2007-08 में 79.01 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 65.85 प्रतिशत हो गया। यह प्रवृत्ति वर्ष 2011-12 के दौरान विपथन हो गई जब यह बढ़कर 89.19 प्रतिशत हो गई।

यदि वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की तुलना की जाए तो 2011-12 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 10.51 प्रतिशत कम हो गईं इसी समयावधि में स.रा.घ.उ. में वृद्धि 18.69 प्रतिशत (परिशिष्ट 1.4) थी। चालू वर्ष में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य की राजस्व उत्पलावक्ता की तुलना पिछले वित्तीय वर्षों से की जाए तो यह भी 1.13 प्रतिशत कम हो गई।


आदर्शतः, जैसे ही स.रा.घ.उ. में वृद्धि होती है, राज्य के स्वयं के कर/कर भिन्न संग्रहण की शक्ति में वृद्धि हो जाती है क्योंकि बढ़ी हुई आय के कारण लोग करों का भुगतान करने की क्षमता रखते हैं। 2009-10 में स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राज्य के स्वयं के कर की बॉयंसि बहुत कम (स.रा.घ.उ. के प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि के लिए राज्य के कर में केवल 0.58 प्रतिशत की वृद्धि) थी तथापि वर्ष 2010-11 में स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन हुआ जब राज्य के स्वयं के कर की बॉयंसि हमेशा की तरह 1.24 प्रतिशत बढ़ गई। लेकिन प्रवृत्ति को अनुरक्षित नहीं किया जा सका क्योंकि 2011-12 के दौरान यह कम होकर 1.13 प्रतिशत हो गई।

1.5.1 स्वयं राज्य के संसाधन

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में वर्ष 2007-12 के दौरान एक मिश्रित प्रवृत्ति का संकेत मिला है वर्ष 2008-09 में यह प्रबल रूप से कम हो गई थी। जबकि वर्ष 2009-10 में इसमें 25.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। हालाँकि, वृद्धि दर वर्ष 2011-12 में जारी नहीं रह सकी तथा 2010-11 की राजस्व प्राप्तियों से तुलना की जाए तो यह 10.51 प्रतिशत कम हो गई। कुल प्राप्तियों में कर प्राप्तियों का अंश वर्ष 2010-11 में वर्ष 2007-08 की तुलना में 79.01 प्रतिशत से घट कर 65.85 प्रतिशत हो गया जबकि 2011-12 में प्रवृत्ति उलट हो गई। यह 2011-12 में बढ़ कर कुल प्राप्तियों का 89.19 प्रतिशत रहा। गैर कर प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में 16.74 प्रतिशत से गिर कर 2.06 प्रतिशत हो गई। चालू वर्ष में सहायता अनुदान का अंश भी वर्ष 2007-08 की तुलना में 8.80 प्रतिशत से 2010-11 में बढ़कर 17.41 प्रतिशत हो गया लेकिन यह प्रवृत्ति चालू वर्ष में परिवर्तित हो गई तथा गिर कर 8.75 प्रतिशत रह गई।

कर राजस्व

पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के कर राजस्व के घटकों को **चार्ट 1.6** में नीचे दिखाया गया है :



स्रोत: वित्त लेखे

पिछले वर्ष (₹ 16477.75 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष (₹ 19971.67 करोड़) में कर राजस्व में ₹ 3493.92 करोड़ (21.20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राजस्व में मुख्य अंशदान बिक्री तथा व्यापार पर कर इत्यादि से था जो कि कुल राजस्व कर का 69 प्रतिशत अंशदान था तथा पिछले वर्ष की तुलना से 13.94 प्रतिशत बढ़ गया।

स्टॉम्प शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क के अंतर्गत संग्रहण में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में क्रमशः ₹ 884.50 करोड़ (65.24 प्रतिशत) तथा ₹ 506.63 करोड़ (24.99 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष (₹ 318.71 करोड़) की तुलना में चालू वर्ष (₹ 397.54 करोड़) के दौरान अन्य करों का अंशदान ₹ 78.83 करोड़ (24.73 प्रतिशत) बढ़ गया।

गैर-कर राजस्व

गैर-कर राजस्व जो कि वर्ष 2011-12 में कुल राजस्व प्राप्तियों का 2.06 प्रतिशत था, गत वर्ष की तुलना में घटकर ₹ 3728.08 करोड़ (89 प्रतिशत) हो गया। वर्ष 2007-11 की अवधि में भिन्न कर राजस्व में 130.58 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 89 प्रतिशत की भारी गिरावट आई। ब्याज प्राप्ति वर्ष 2010-11 में ₹ 3869.84 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में ₹ 174.14 करोड़ हो गई जो कुल गैर-कर प्राप्ति का वर्ष 2010-11 में 92.38 प्रतिशत तथा वर्ष 2011-12 में 37.79 प्रतिशत थी। 2011-12 की ₹ 174.14 करोड़ की कुल ब्याज प्राप्ति में से ₹ 169.25 करोड़ स्थानीय निकायों द्वारा दिया गया था।

1.5.2 संग्रहण की लागत

2009-10 से 2010-12 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्ति का सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण में ऐसे व्यय की प्रतिशतता निम्न प्रकार से है :

तालिका 1.3: संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

राजस्व के शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशतता
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2009-10	10126.01	50.83	0.50
	2010-11	12068.62	50.69	0.42
	2011-12	13750.95	53.67	0.39
राज्य उत्पाद शुल्क	2009-10	1643.56	8.75	0.53
	2010-11	2027.09	9.44	0.47
	2011-12	2533.72	10.79	0.43
स्टॉम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क	2009-10	929.97	19.53	2.10
	2010-11	1355.75	19.30	1.42
	2011-12	2240.25	31.60	1.41
वाहनों पर कर	2009-10	462.65	34.34	7.42
	2010-11	707.55	37.03	5.23
	2011-12	1049.19	31.79	3.03

वर्ष 2011-12 के दौरान, व्यापार एवं बिक्री कर, राज्य उत्पाद, वाहन पर कर, स्टॉम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है। जबकि स्टॉम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क के संदर्भ में संग्रहण की लागत में असमान्य रूप से ₹ 19.30 करोड़ से ₹ 31.60 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.6 संसाधनों के प्रयोग

1.6.1 व्यय की वृद्धि तथा संयोजन


वित्त लेखों की विवरणी-10 मुख्य शीर्षों में पूँजीगत व्यय तथा लघु शीर्षों में राजस्व व्यय के ब्यौरे दर्शाती है। राज्य अपने शासकीय कार्यों को पूरा करने, उनकी सामाजिक तथा आर्थिक सेवाएँ प्रदान करने की प्रवृत्ति को बनाए रखने, पूँजीगत व्यय तथा निवेशों के जरिए इन सेवाओं के नेटवर्क का विस्तार करने तथा उनके ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधनों का विकास करता है। वर्ष 2011-12 में राज्य की कुल व्यय 2007-08 की तुलना में ₹ 17184.54 करोड़ से बढ़कर ₹ 25314.55 करोड़ हो गयी।

चालू वर्ष के दौरान ₹ 25314.55 करोड़ का कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 583.28 करोड़ (2.36 प्रतिशत) से अल्प रूप से बढ़ गया। कुल वृद्धि में, राजस्व व्यय ₹ 3583.12 करोड़ तथा पूँजीगत व्यय ₹ 19.47 करोड़ था, जबकि ऋण तथा अग्रिम ₹ 3019.31 करोड़ से घट गए थे। चालू वर्ष के दौरान पूँजीगत व्यय का सीमांत बढ़ता हुआ अंश राज्य द्वारा निधियों का कम उत्पादक आवंटन का संकेतक है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान राजस्व व्यय वर्ष 2007-08 में ₹ 9770.52 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011-12 में ₹ 17964.86 करोड़ हो गया जिसकी वृद्धि तदनुसूचित अवधि के दौरान 83.87 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसी प्रकार पूँजीगत व्यय जो कि वर्ष 2007-08 के दौरान ₹ 3764.46 करोड़ था वर्ष 2011-12 में बढ़कर ₹ 4004.27 करोड़ हो गया एवं इस दौरान ₹ 6.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।


2007-08 में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय, कुल व्यय (ऋण एवं अग्रिमों को छोड़कर) का क्रमशः 27.81 प्रतिशत तथा 72.19 प्रतिशत थे जबकि 2011-12 में क्रमशः ये 18.23 प्रतिशत तथा 81.77 प्रतिशत थे। योजनागत व्यय के अंतर्गत कुल व्यय 2010-11 में ₹ 8872.91 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1567.91 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 10440.82 करोड़ हो गया जबकि तदनुसूचित अवधि में गैर योजनागत व्यय 2010-11 में ₹ 9493.63 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 2034.68 करोड़ की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 11528.31 करोड़ हो गया। वर्ष 2011-12 के दौरान कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में विभाजित करने से पता चला कि योजनागत और गैर योजनागत का अंश क्रमशः 47.52 प्रतिशत तथा 52.48 प्रतिशत था।

चार्ट 1.7 पाँच वर्षों (2007-12) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है और 'आर्थिक वर्गीकरण' तथा 'कार्यकलापों से व्यय' दोनों के संबंध में संयोजन को क्रमशः **चार्ट 1.8 और 1.9** में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.7: कुल व्यय : प्रवृत्तियाँ तथा संयोजन



चार्ट 1.8: कुल व्यय : इसके घटकों के भाग की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.9: कुल व्यय: कार्यकलापों से प्रवृत्तियाँ



यह देखा जा सकता है कि 2007-12 के दौरान सामान्य सेवाओं का भाग 20.55 प्रतिशत से घटकर 17.92 प्रतिशत रह गया जबकि सामाजिक सेवाओं के बढ़ते हुए महत्व को दर्शाते हुए सामाजिक सेवाओं का भाग 34.03 प्रतिशत से बढ़कर 44.62 प्रतिशत हो गया ।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

व्यय की गुणवत्ता के सुधार में मूल रूप से तीन पक्ष शामिल हैं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रावधान), व्यय के उपयोग की दक्षता तथा प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय-परिणाम के संबंध का निर्धारण) जिनका विस्तृत विवरण निम्नलिखित पैरों में किया गया है:

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

सामाजिक क्षेत्र तथा आर्थिक अवसंरचना से संबंधित व्यय की जिम्मेदारियों को संविधान में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वृहत् रूप में राज्य सरकारों को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार राज्यों में सामाजिक विकास स्तरों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर व्यय को बढ़ाया जाए। निम्न राजकोषीय प्राथमिकता (कुल व्यय में व्यय श्रेणी का अनुपात) किसी विशेष क्षेत्र से संलग्न होगी यदि यह राष्ट्रीय औसत से कम थी। **तालिका 1.4** वर्ष 2011-12 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र के व्यय तथा पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.4: 2008-09 तथा 2011-12 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता**	कु.व्य./स.रा. घ.उ.	वि.व्य./# कु.व्य.	सा.क्ष.व्य /कु.व्य.	पूँ.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/कु.व्य.	स्वास्थ्य/कु.व्य.
16* सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत (अनुपात) 2008-09	17.00	67.09	34.28	16.47	15.41	3.97
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2008-09	10.54	74.04	43.58	18.32	16.20	8.33
16* सामान्य श्रेणी के राज्यों की औसत (अनुपात) 2011-12	16.09	66.44	36.57	13.25	17.18	4.30
दिल्ली राज्य की औसत (अनुपात) 2011-12	8.06	79.02	51.58	15.07	18.96	10.37
** स.रा.घ.उ. से प्रतिशत में कु.व्य.: कुल व्यय, वि.व्य.: विकास व्यय सा.से.व्य.:सामाजिक सेवाओं पर व्यय पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय # विकास व्यय में, विकास राजस्व व्यय, विकास पूँजीगत व्यय तथा ऋण व अग्रिम वितरण समाहित करता है। * सामान्य श्रेणी के राज्यों में दिल्ली, गोवा और पुदुचेरी सम्मिलित नहीं है।						

स्रोत: स.रा.घ.उ. के लिए यह सूचना राज्य निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकीय से प्राप्त की गई

राजकोषीय प्राथमिकता में व्यय के एक विशेष शीर्ष को दी गई प्राथमिकता आती है। उपरोक्त तालिका 2008-09 तथा चालू वर्ष 2011-12 में सामान्य श्रेणी राज्यों के साथ राज्य के व्यय की विभिन्न श्रेणियों को दी गई वित्तीय प्राथमिकता की तुलना करती है।

- सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में दिल्ली में विकास व्यय, कुल व्यय (कु.व्य.) के अनुपात में अधिक है। विकास व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय और सामाजिक सेवाओं पर व्यय दोनों से ही बनता है। दिल्ली में सामाजिक सेवाओं पर व्यय (कु.व्य.के अनुपात में) अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना

में बहुत अधिक है। चालू वर्ष में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं की प्राथमिकता में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिलता है। 2008-09 और 2011-12 में कु.व्य. में शिक्षा पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों के अनुपात में सीमांत रूप से अधिक था।

- पूँजीगत व्यय को दिल्ली सरकार द्वारा अधिक प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इस क्षेत्र में व्यय का अनुपात अन्य सामान्य श्रेणी राज्यों से दोनों ही वर्षों 2008-09 तथा 2011-12 में अधिक है।
- कु.व्य., स.रा.घ.उ. के अनुपात में दोनों ही वर्षों अर्थात् 2008-09 तथा 2011-12 (10.54 प्रतिशत और 8.06 प्रतिशत) में सामान्य श्रेणी राज्यों (17.00 प्रतिशत और 16.09 प्रतिशत) की तुलना में कम है।

1.7.2 उपयोगित व्यय की दक्षता

सामाजिक तथा आर्थिक विकास पर लोक व्यय के महत्व के विचार से राज्य सरकारों के लिए उचित विवेकपूर्ण व्यय उपायों को करना तथा विकास व्यय के आबंटन में सुधार के अतिरिक्त, विशेषकर चालू वर्षों में ऋण सेवा में कमी के कारण राजकोषीय अंतराल आने की दृष्टि से कोर पब्लिक और मैरिट गुड्स* के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। तालिका 1.5 चालू वर्ष तथा गत वर्षों के दौरान राज्य के विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.5: विकास व्यय


(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास व्यय (क से ग नीचे)	12122.44	15749.92	17768.13	17631.45	21213.32	20004.27
क. विकास राजस्व व्यय	5853.95	7872.07	9753.86	10111.26	13820.11	12889.33
ख. विकास पूँजीगत व्यय	3482.40	3661.92	4361.14	3720.25	3988.63	3815.45
ग. ऋणों एवं अग्रिमों का विकास	2786.09	4215.93	3653.13	3799.94	3404.58	3299.49

स्रोत: वित्त लेखे

* कोर पब्लिक गुड्स वे हैं जिसका सभी नागरिक समान रूप से इस आशय में आनंद ले सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु का वैयक्तिक उपभोग करने पर किसी अन्य व्यक्ति के उसी वस्तु का उपभोग करने में कमी नहीं आती, उदाहरण के लिए-कानून और आदेश का प्रवर्तन, रक्षा व सुरक्षा का नागरिक अधिकार, प्रदूषण रहित वायु तथा पर्यावरणीय वस्तुएँ और सड़क संरचना आदि।

मेरिट गुड्स वे सामग्रियाँ हैं जिन्हें सार्वजनिक खंड या तो मुफ्त में या फिर आर्थिक सहायता दरों पर प्रदान करते हैं क्योंकि ये सामग्रियाँ किसी व्यक्ति या समाज के पास किसी आवश्यकता की संकल्पना के आधार पर होनी चाहिए न कि सरकार को भुगतान करने के सामर्थ्य और इच्छा पर और इसलिए इनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा की जाती है। इस तरह के गुड्स के उदाहरण में गरीबों के पोषण के लिए मुफ्त या आर्थिक सहायता प्राप्त भोजन का प्रावधान, जीवन गुणवत्ता बढ़ाने और अस्वस्थता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सभी को शिक्षा संबन्धी मूलभूत जानकारी, पीने योग्य पानी व सफाई आदि प्रदान करना शामिल हैं।



अनुमान की तुलना में वर्ष 2011-12 के दौरान राजस्व व पूँजी के अंतर्गत वास्तविक विकास व्यय क्रमशः ₹ 930.78 करोड़ तथा ₹ 173.18 करोड़ से कम है। यह दर्शाता है कि बजट अनुमान का ढाँचा बनाते वक्त विभिन्न योजनागत स्कीमों का क्रियान्वयन करने वाली क्रियान्वित एजेंसियों की तैयारियों का निर्धारित मूल्यांकन पूर्णतया नहीं किया गया था।

उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2007-08 से वर्ष 2011-12 के दौरान विकास राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय क्रमशः 120.18 प्रतिशत तथा 9.56 प्रतिशत से बढ़ गए हैं। विकास व्यय में वृद्धि रा.रा.क्षे. दिल्ली के नागरिकों की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की तरफ सकारात्मक प्रवृत्ति को दर्शाता है। यद्यपि विकास पूँजी व्यय पिछले वर्ष से 2011-12 में ₹ 95.20 करोड़ बढ़ गया, वृद्धि ऋण एवं अग्रिम समतुल्य वर्षों में ₹ 500.45 करोड़ घट गए।

1.8 सरकारी व्यय तथा निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह भाग पूर्व वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों तथा अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 निवेश तथा प्रतिफल

31 मार्च 2012 तक सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों में ₹ 14655.90 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.6)। इस निवेश पर औसत प्रतिफल पिछले तीन वर्षों में अपर्याप्त 0.33 प्रतिशत था जबकि सरकार ने 2009-2012 के दौरान अपने उधारों पर 9.46 प्रतिशत की औसत ब्याज दर अदा की थी।

तालिका 1.6: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/प्रतिफल/उधारों की लागत	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
वर्ष के अंत में निवेश	8235.43	9682.02	11017.56	12616.58	14655.90
प्रतिफल	31.15	29.92	41.56	46.59	33.00
प्रतिफल (%)	0.38	0.31	0.38	0.37	0.23
सरकारी उधारों पर प्रतिफल की औसत दर (%)	9.84	9.90	9.52	9.10	9.77
ब्याज दर तथा प्रतिफल के बीच अंतर (%)	9.46	9.59	9.14	8.73	9.54

सरकारी कम्पनियों/निगमों में कुल निवेश मार्च 2011 के अंत में ₹ 12616.58 करोड़ से बढ़कर मार्च 2012 के अंत में ₹ 14655.90 करोड़ हो गया। पिछले राजकोषीय वर्ष से 2011-12 में निवेश में वृद्धि मुख्य रूप से ₹ 988.32 करोड़ ₹ 201.00 करोड़ तथा ₹ 500.00 करोड़ और ₹ 300.00 करोड़ क्रमशः दिल्ली मेट्रो रेल निगम लि., दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) दिल्ली पावर कम्पनी लि. और प्रगति पावर कार्पोरेशन लि. में नये निवेश के कारण थी।

वर्ष 2011-12 के दौरान, चार सहकारी समितियों तथा कम्पनियों जैसे दिल्ली को-ओपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसायटी लि., इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉरपोरेशन लि., दिल्ली टूरिज्म एवं ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लि. में मार्च 2012 के अंत तक सरकारी निवेश ₹ 1884.57 करोड़ के साथ लाभांश ₹ 33.00 करोड़ दिया था जो कि इन कम्पनियों में निवेश का मात्र 1.75 प्रतिशत था।

1.8.2 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त सरकार ने बहुत से संस्थानों/संगठनों को भी ऋण एवं अग्रिम प्रदान किए हैं। 31 मार्च 2012 को कुल बकाया ऋण एवं अग्रिम ₹ 48116.89 करोड़ था (तालिका 1.7)।

तालिका 1.7: राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम और ऋणों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की मात्रा/ब्याज प्राप्तियों/उधार की लागत	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
प्रारंभिक शेष	30418.31	33836.63	39219.78	45147.73
वर्ष के दौरान अग्रिम दी गई राशि	4217.32	5701.30	6364.73	3345.41
वर्ष के दौरान पुनः भुगतान की गई राशि	798.99	318.15	436.77	376.25
अंतिम शेष	33836.64	39219.78	45147.73	48116.90
निवल जोड़	3418.32	5383.15	5927.95	2969.17
ब्याज प्राप्तियाँ	2101.41	3236.62	3869.84	174.14
बकाया ऋणों एवं अग्रिमों से ब्याज प्राप्तियों का प्रतिशत	6.91	8.25	8.57	0.36
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय देयताओं से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	9.90	9.52	9.10	9.77
ब्याज भुगतान तथा ब्याज प्राप्तियों के बीच अंतर (प्रतिशत)	2.99	1.27	0.53	9.41

राज्य स्तरीय संगठनों/संस्थानों के प्रति बकाया ऋण दिल्ली के रा.रा.क्षे. के कुल बकाया ऋणों का बहुत बड़ा भाग है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा 2011-12 के अंत में बहुत से राज्य उद्यमी संस्थान जिनको ऋण एवं अग्रिम दिए गए थे तथा ₹ 14867 करोड़ के अन्य विविध बकाया भुगतानों को छोड़कर शेष बकाया जल आपूर्ति (₹ 8251.72 करोड़) सीवरेज और सफाई प्रबंध (₹ 4367.37 करोड़) शहरी विकास योजना (₹ 1592.72 करोड़), सड़क परिवहन (₹ 12758.14 करोड़) और ऊर्जा क्षेत्र के लिए पावर प्रोजेक्ट्स (₹ 6278.39 करोड़) के थे।

1.9 परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

1.9.1 परिसम्पत्तियाँ और देयताओं की वृद्धि और संयोजन

विद्यमान सरकारी लेखांकन प्रणाली में स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे सरकार द्वारा स्वामित्व प्राप्त भूमि एवं भवनों का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय में से सृजित परिसम्पत्तियों का लेखा रखा जाता है। **परिशिष्ट 1.5** 31 मार्च 2011 की सदृश स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2012 को ऐसी देयताओं और परिसंपत्तियों का सार प्रदर्शित करता है। इस परिशिष्ट में देयताओं में केवल भारत सरकार (भा.स.) से ऋणों एवं अग्रिमों को शामिल किया जाता है परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेषों को सम्मिलित किया जाता है।

1.9.2 राजकोषीय देयताएँ

राज्य की कुल वित्तीय देयताएँ 2007-08 में ₹ 25338.96 करोड़, से बढ़कर 2011-12 में ₹ 29608.29 करोड़ (16.85 प्रतिशत) हो गई हैं। वर्ष 2011-12 में ₹ 29608.29 करोड़ की राजकोषीय देयताओं में लघु बचत संग्रहण के ₹ 29608.28 करोड़ तथा अन्य सहकारी समितियों को सहकारी सहायता के ₹ 0.01 करोड़ सम्मिलित है। जबकि वर्ष 2010-11 के दौरान कुल ₹ 30140.09 करोड़ की कुल देयताओं में लघु बचत संग्रहण तथा अन्य सहकारी सहायता के क्रमशः ₹ 30140.08 करोड़ तथा ₹ 0.01 करोड़ सम्मिलित थे। वर्ष 2011-12 के अंत में वित्तीय देयतायें, राजस्व प्राप्तियों का 1.32 गुना तथा राज्यों के अपने संसाधनों की 1.45 गुना थी।

1.10 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण के विस्तार के अतिरिक्त विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य सरकार की ऋण धारणीयता¹ को निश्चित करते हैं। यह अनुभाग

¹ ऋण की धारणीयता इस प्रकार परिभाषित की गई है कि समय अवधि के साथ स्थिर ऋण अनुपात बनाए रखने के लिए राज्य की योग्यता तथा इन ऋणों की आपूर्ति की योग्यता को मूर्त रूप देना भी है। ऋण की धारणीयता चालू अथवा दिए गए दायित्व को स्थिर सम्पत्तियों की पर्याप्तता में सम्मिलित उधारों से प्रतिफल के साथ अतिरिक्त उधार की लागतों के

ऋण स्थिरता², गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता³, उधार निधियों की निवल उपलब्धता⁴ ब्याज भुगतानों का भार (ब्याज भुगतान और राज्य प्राप्तियों का अनुपात) तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता के वर्णन की शर्तों में राज्य सरकार के ऋण की धारणीयता का निर्धारण करता है। तालिका 1.8 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य की ऋण धारणीयता को इन सूचकों के अनुसार विश्लेषण करती है।

तालिका 1.8 : ऋण धारणीयता : संकेतक तथा प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण धारणीयता के संकेतक	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
ऋण स्थिरता (बढ़ी हुई प्रमात्रा + प्राथमिक घाटा)	(+)2163.71	(+)2247.03	(+)1090.56	(+)5727.30	(+)3060.56
गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतराल)	706.35	15.53	1479.97	4210.52	(-)6274.57
उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	(-)2733.42	(-) 2469.16	1162.53	3595.88	(-)531.80
ब्याज भुगतानों का भार (आई.पी./आर.आर. अनुपात)	16.79	15.36	12.09	10.31	13.03
ऋण/जी.एस.डी.पी. अनुपात	16.04	13.39	11.86	11.40	9.43

(स्रोत: दिल्ली के वित्त लेखे तथा पी.ए.ओ. दिल्ली)

- प्राथमिक घाटे के साथ मात्रा विस्तार 2007-08 से 2011-12 तक सकारात्मक रहे जो कि ऋण के स्थिर रहने का सूचक है। उधार निधियों की निवल उपलब्धता की प्रवृत्ति भी उपरोक्त अवधि के दौरान मिली जुली थी।
- गत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 2630.93 करोड़ से घट गईं जबकि गत वर्ष की तुलना में 2011-12 में राजस्व व्यय ₹ 3583.12 करोड़

बीच संतुलन बनाए रखने की सामर्थ्य के कारण भी संकेत करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राजकोषीय घाटे में बढ़ोत्तरी के साथ ऋण आपूर्ति की क्षमता से बढ़ोत्तरी में समानता होनी चाहिए।

² स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त स्पष्ट करती है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक ऋणों की लागत से अधिक बढ़ जाती है, ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात जैसे मुख्य संतुलन शेषों को स्थिर रखता है या शून्य अथवा सकारात्मक या नकारात्मक संतुलन है। दी गई दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर ब्याज दर) और परिणाम विस्तार (ऋण-दर विस्तार) ऋण धारणीयता शर्त स्पष्ट करती है कि यदि मुख्य घाटा के साथ परिणाम विस्तार शून्य है। अंततः ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण स्थायीकरण रहेगा। अन्य प्रकार से यदि मुख्य घाटा परिणाम विस्तार के साथ नकारात्मक हो जाता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा तथा सकारात्मक मामलों में ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अन्ततः घटता रहेगा।

³ वृद्धि ब्याज देयता तथा वृद्धि मुख्य व्यय को सम्मिलित करने के लिए राज्य की वृद्धि गैर-ऋण प्राप्ति की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता अर्थपूर्णता से सरल बन सकती है यदि वृद्धि गैर-ऋण प्राप्ति में ऋण ब्याज भार तथा वृद्धि मुख्य व्यय को सम्मिलित किया गया है।

⁴ कुल ऋण प्राप्तियों को ऋणमोचन (मूल + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया और यह उधार निधियों की निवल उपलब्धता को सूचित करते हुए यह संकेत करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों को ऋण मोचन के लिए उपयोग किया गया है।

से बढ़ा। इसने संसाधन अन्तराल को प्रभावित किया जो ऋणात्मक क्षेत्र की ओर प्रवृत्त हो गया और वर्ष 2010-11 में ₹ 4210.52 करोड़ से घटकर वर्ष 2011-12 में (-) ₹ 6274.57 करोड़ हो गया।


- यद्यपि ब्याज भुगतान का भार वर्ष 2007-08 में 16.79 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2010-11 में 10.31 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्ति में नकारात्मक वृद्धि के कारण 2011-12 में ब्याज भुगतान के भार में 13.03 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।
- स.रा.घ.उ. लगातार बढ़ रहा है लेकिन ऋण बहुत कम घटा। जिसके परिणामस्वरूप ऋण स.रा.घ.उ. का अनुपात 2010-11 के 11.40 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 9.43 प्रतिशत हो गया।


1.11 राजकोषीय असंतुलन

तीन मुख्य राजकोषीय मापदण्ड - राजस्व, राजकोषीय तथा प्रारंभिक घाटा - एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान राज्य सरकार के वित्तों में कुल राजकोषीय असंतुलन की सीमा सूचित करते हैं। सरकारी लेखों में घाटा इसकी प्राप्तियों तथा व्यय के बीच अंतराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का संकेतक है। इसके अतिरिक्त, संसाधनों का प्रबंध एवं उपयोग द्वारा घाटे का यह तरीका जिसमें घाटा पूरा किया जाता है तथा उचित संसाधनों को लगाया जाता है, वित्तियन इसकी राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह अनुभाग इस घाटे की प्रवृत्तियों, प्रकृति, विस्तार तथा पूरा करने का ढंग और राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के वास्तविक स्तरों का निर्धारण भी प्रस्तुत करता है।

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.11 और चार्ट 1.12 वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान अधिशेष/घाटे को दर्शाता है :





- राज्य ने 2007-08 में राजस्व अधिशेष में ₹ 5141.86 करोड़ से 2010-11 में ₹ 10642.36 करोड़ की लगातार वृद्धि दर्शाई। लेकिन, 2011-12 में तेजी से कमी देखी जा सकती है। यह 2011-12 में ₹ 4428.31 करोड़ हो गया।
- वित्तीय घाटा वर्ष 2007-08 में ₹ 2040.90 करोड़ से वर्ष 2009-10 में ₹ 3549.96 करोड़ की वृद्धि प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2010-11 में ₹ 729.60 करोड़ के साथ यह सकारात्मक था, 2011-12 में यह फिर ₹ 2545.20 करोड़ के साथ नकारात्मक हो गया।
- प्राथमिक घाटा 2010-11 में ₹ 3309.12 करोड़ के प्राथमिक अधिशेष में परिवर्तित हो गया जोकि वर्ष 2011-12 के दौरान तेजी के साथ गिरकर ₹ 372.06 करोड़ रह गया था।
- 2011-12 में राजस्व प्राप्तियों में 10.51 प्रतिशत तक कमी आई लेकिन पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय 24.91 प्रतिशत से बढ़ गया, इस कारण राजस्व अधिशेष गत वर्ष अर्थात् 2010-11 की तुलना में ₹ 6214.05 करोड़ से घट गया।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक तथा इसका वित्तीय ढाँचा

राजकोषीय घाटे के वित्तीय ढाँचों की रचना में बदलाव आया है जैसे कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
राजकोषीय घाटा/ अधिशेष* (-/+)	(-) 2040.90	(-) 2824.07	(-) 3549.96	(+) 729.60	(-)2545.20
राजकोषीय घाटे का असंयोजन					
1 राजस्व घाटा/अधिशेष (-/+)	5141.86	4589.65	6550.46	10642.36	4428.31
2 निवल पूँजीगत व्यय	3764.46	3995.40	4717.27	3984.80	4004.27
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	3418.29	3418.32	5383.15	5927.96	2969.17
राजकोषीय घाटे का वित्तीय ढाँचा**					
1 भारत सरकार से ऋण जीओआई	(-) 229.07	42.71	1162.54	3595.88	(-) 531.80

* घाटा आंकड़े (-) में तथा अधिशेष आंकड़े (+) में दर्शाये गए हैं ।

** ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान निवल संवितरण/बाह्य प्रवाह को दर्शाते हैं ।

(स्रोत: वित्त लेखे तथा पी.ए.ओ. दिल्ली)

1.11.3 घाटा/अधिशेष की गुणवत्ता

वित्तीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात तथा प्राथमिक राजस्व घाटे में प्राथमिक घाटे के संयोजन तथा पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) राज्य के वित्तों में घाटे की प्रकृति को इंगित करता है । राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे का अनुपात इस विस्तार को इंगित करता है जिसमें उधार निधियों को चालू उपयोग के लिए उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का निरंतर उच्च अनुपात इंगित करता है कि राज्य की मूल परिसम्पत्ति लगातार कम हो रही थी और कुछ उधारियों (राजकोषीय देयताएं) में कोई परिसम्पत्ति बैक-अप नहीं था । क्योंकि दिल्ली में वर्ष 2007-12 की समस्त अवधि में राजस्व अधिशेष थे इसलिए उधार निधियाँ केवल पूंजी व्यय तथा ऋणों के पुनर्भुगतान में प्रयोग किए गए थे ।

तालिका 1.10: मुख्य घाटा/अधिशेष - घटकों का द्वि-विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर ऋण प्राप्ति	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6(3+4+5)	7(2-3)	8(2-6)
2007-08	15143.64	7266.18	3764.46	3649.56	14680.20	(+) 7877.46	(+)463.44
2008-09	17151.21	9250.69	3995.40	4217.32	17463.41	(+) 7900.52	(-)312.20
2009-10	20769.49	11427.95	4717.27	5701.30	21846.52	(+) 9341.54	(-)1077.03
2010-11	25460.87	11802.22	3984.80	6364.73	22151.75	(+) 13658.65	(+) 3309.12
2011-12	22769.35	15047.60	4004.27	3345.42	22397.29	(+) 7721.75	(+) 372.06

(स्रोत: वित्त लेखे तथा पी.ए.ओ. दिल्ली)

दिल्ली ने वर्ष 2007-08 में प्राथमिक अधिशेष का उपभोग किया परन्तु 2008-09 और 2009-10 में गैर-ऋण प्राप्तियाँ प्रारंभिक व्यय को कवर नहीं कर सकीं जिसका नतीजा प्राथमिक घाटा हुआ। दिल्ली ने पुनः 2010-11 और 2011-12 में प्राथमिक अधिशेष का उपभोग किया। प्राथमिक व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष में 17.99 प्रतिशत के प्रति 2011-12 में 17.88 प्रतिशत तक घट गई। 2007-08 के 25.64 प्रतिशत की तुलना में यह महत्वपूर्ण था। हालाँकि, पूँजीगत व्यय पर वित्तीय लागत को भौतिक परिसंपत्तियों में समयानुसार इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए परिवर्तित करना चाहिए।

1.12 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति मुख्य राजकोषीय मापदण्डों जैसे राजस्व आधिक्य, राजकोषीय घाटा और प्रारम्भिक घाटा के संदर्भ में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में ₹ 6214.05 करोड़ की कमी का राजस्व अधिशेष दिखाती है जबकि राजकोषीय अधिशेष राजकोषीय घाटे में परिवर्तित हो गया और प्राथमिक घाटा 2011-12 में ₹ 372.06 करोड़ का पिछले वर्ष की तुलना में अधिशेष रहा।

इस तथ्य के प्रकाश में, यद्यपि इन प्रवृत्तियों को भी देखा गया कि पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में ₹ 19.47 करोड़ (0.49 प्रतिशत) से थोड़ा बढ़ गया। वर्ष 2011-12 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 91 प्रतिशत दिल्ली द्वारा अपने स्रोतों द्वारा योगदान किया गया था।

यद्यपि, रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा वितरित किए गये बकाया ऋण और अग्रिम से प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियों की वसूली 2007-12 की अवधि के दौरान उधारियों की लागत को पूरा करने में काफी अपर्याप्त रही। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों में इस सरकारी निवेश पर औसत प्रतिफल काफी कम 0.33 प्रतिशत था जबकि 2009-2012 के दौरान सरकार ने अपनी उधारियों के लिए 9.46 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया। जबकि, ब्याज भार जैसे ऋण एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज तथा भुगतान किए गए ब्याज लगातार पिछले तीन वर्षों में 2010-11 के दौरान 0.53 प्रतिशत तक घट गया। यद्यपि यह प्रवृत्ति आगे नहीं चल सकी क्योंकि 2011-12 में यह पुनः बढ़कर 9.41 प्रतिशत हो गया।

1.13 सिफारिशें

- राजस्व तथा पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक विकास व्यय अनुमानित अंतिम बजट प्रावधानों से कम था । सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न विकास योजना स्कीमों को आवश्यकताओं के अनुसार ही बजट प्रावधान प्रदान किए जाएं ।
- गत तीन वर्षों में सांविधिक निगमों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारियों में दिल्ली सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल 0.23 से 0.38 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि सरकार ने, सरकार की उधारियों पर 9.10 से 9.77 प्रतिशत का औसत ब्याज अदा किया । राज्य सरकार को अपने निवेश में धन के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए । परियोजनाएं जिन्हें अल्प वित्त लेकिन उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल के कारण उचित ठहराया जाता है, पूरे औचित्य के साथ पहचान कर प्राथमिकता दी जाए तथा उच्च लागत उधारियों को वहाँ लगाया जाए। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जो भारी हानियाँ वहन कर रहे हैं तथा पुनर्जीवन योजना पर कार्य कर रहे हैं के कार्यों की समीक्षा करना भी आवश्यक होगा ।